



केन्द्रीय विद्यालय संगठन / Kendriya Vidyalaya Sangathan
अधीनस्थ शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार / Under Ministry of Education, Govt. of India
क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू / Regional Office (Jammu),
राजकीय चिकित्सालय मार्ग / Govt Hospital Road,
गाँधी नगर, जम्मू - 180004 / Gandhinagar, JAMMU-180004
दूरभाष / Ph. No: 2453528, फैक्स / Fax : 2430081
Website: www.rojammu.kvs.gov.in, E-mail: kvsjammuadmn@gmail.com

एफ.24061/2022/के.वि.स.(जम्मू संभाग)/प्रशा. 1185-1227

दिनांक: 27.04.2022
ई-मेल द्वारा

कार्यालय आदेश

सहायक आयुक्त (सतकर्ता), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक फा. स.11-55/2000 के विसं. (सतकर्ता) पीटी.1/1311-135: दिनांक :-05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 से प्रभावी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों दिनांक 27.05.2019 के अतिक्रमण में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू में "आंतरिक शिकायत समितियों (आई.सी.सी.)" के पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :

क्रमांक	नामित किया जाने वाला सदस्य	नामावली	अधिकार क्षेत्र
01.	श्रीमती शिलबाला सिंह, सहायक आयुक्त, के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली।	पीठासीन अधिकारी	क्षेत्रीय कार्यालय में अनुभाग अधिकारी स्तर (वित्त अधिकारी को छोड़कर) तथा सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अधीनस्थ प्राचार्यों, उप-प्राचार्यों तथा मुख्य अध्यापकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच करना।
02.	श्रीमती उषा आनंद, अध्यक्ष, महिला कल्याण संस्था, कच्ची छावनी, जम्मू।	गैर-सरकारी संगठन, सदस्य (NGO Member)	
03.	श्री भूषण कुमार, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय न.2, जम्मू छावनी।	सदस्य	
04.	श्री दीदार सिंह, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, नगरोटा।	सदस्य	

टिप्पणी:-

- सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जाएगा की इस तरह नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिला होंगे।
- पीठासीन अधिकारी सहित आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्य उनको नामित किये जाने की तिथि से तीन वर्षों से अधिक कार्य नहीं करेंगे।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच सख्ती के साथ निर्धारित प्रक्रिया, अधिनियम में निर्धारित कालानुक्रम तथा भारत-सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए।

म. मुनाथ
(डीओ डीओ मंजुनाथ)

27/4/2022

वितरण:

- समिति पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
- समिति के सभी सदस्य / गैर-सरकारी संगठन, सदस्य (NGO Member) को सूचनार्थ प्रेषित।
- समस्त प्रचार्यवृन्द, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जम्मू संभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है की उपर्युक्त आदेश को विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए तथा "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न" संबंधी शिकायतों के निपटान हेतु 09 दिसम्बर 2013 को लागू व के.वि.सं., मुख्य के पत्र दिनांक 05.03.2019 तथा इस कार्यालय द्वारा दिनांक 07.03.2019 को परिचालित पत्र के अनुसार व उक्त अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के प्रावधान के सम्बन्ध में अपने विद्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन करें। इस सन्दर्भ में विद्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति के गठन पर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करें। आंतरिक शिकायत समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू के पीठासीन अधिकारी विद्यालय स्तर की आंतरिक शिकायत समिति में भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
- सहायक आयुक्त (सतकर्ता), के.वि.सं. (मुख्यालय) नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- उपायुक्त/ निदेशक, सभी संभागीय कार्यालय, के.वि.सं. व सभी ZIETs को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली को पत्र दिनांक 25.03.2022 के सम्बन्ध में।
- समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जम्मू संभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन/Kendriya Vidyalaya Sangathan

अधीनस्थ शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार / Under Ministry of Education, Govt of India

क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू/Regional Office (Jammu),

राजकीय चिकित्सालयमार्ग, /Govt Hospital Road,

गाँधीनगर, जम्मू-180004/ Gandhinagar, JAMMU-180004

दूरभाष/Ph. No:2453528, फैक्स/Fax : 2430081

Website : <https://rojammu.kvs.gov.in>,

e.mail : kvsjammuadmn@gmail.com



F.24061/2019/KVS(JR)/Admn

Dated: 27.04.2022

E mail/Speed post

OFFICE ORDER

In supersession of this officer order dated 27.05.2019 and in compliance with KVS(Hqrs) New Delhi letter No.F.11-55/2000-KVS(Vig)/Pt-I/11212-15 dated 5.3.2019 and as per the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 to deal with the complaints regarding sexual harassment of women at Workplace, in terms of the provision of Section 4(2) of the said act enforced on 9th December 2013, an **Internal Complaint Committee (ICC)** comprising of the following members is hereby reconstituted at KVS, Regional Office Jammu for redressal of the complaints of the victim women employees on account of sexual harassment.

S.No	Name and designation	Internal Committee member as	Jurisdiction
1	Smt. Shilbala Singh, Assistant Commissioner, KVS(RO) Delhi Region	Presiding Officer	To inquire into the complaints of sexual harassment at work place against the officials at the Regional Office upto the level of SO (excluding FO) and against the Principals, Vice Principals & HMs of the Region concerned.
2	Smt. Usha Anand, President, Women Welfare Organisation (Kachi Chawni) Jammu	NGO Member	
3	Sh Bhushan Kumar, Principal, Kendriya Vidyalaya No.2 Jammu Cantt.	Member	
4	Sh. Didar Singh, Principal, Kendriya Vidyalaya, Nagrota	Member	

Note:

- The composition of ICC will be subject to the condition that one-half of the total members so nominated shall be women.
- All the members of the ICC including the Presiding Officer shall hold Office not exceeding three years from the date of nomination.
- The inquiry into the complaints of sexual harassment at workplace is to be conducted strictly as per the procedure and timelines prescribed in the Act and the guidelines issued from time to time by the Govt. of India.

(Dr. D Manjunath)
Deputy Commissioner

Distribution:-

- The Presiding Officer of the Committee.
- The Member/NGO Member of the Committee.
- The Principal, All Kendriya Vidyalayas, Jammu Region with the instructions to bring the said order to the notice of all the employees of his/her Vidyalaya and reconstitute the **Internal Complaint Committee** in his Vidyalaya as per the provisions of the "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 to deal with the complaints regarding sexual harassment of women at workplace, in terms of the provisions of Section 4(2) of the said Act enforced on 9th December 2013 as per the composition notified vide KVS(hqrs) letter dated 5.3.2019 circulated vide this office letter dated 7.3.2019 and ensure compliance of the guidelines about constitution of the ICC at Vidyalaya Level. The Presiding Officer of the ICC of the Regional Office Jammu will act as Presiding Officer of the Vidyalaya level ICC.
- The Assistant Commissioner (Vig), KVS (Hqrs) New Delhi – for information.
- The Deputy Commissioners/ Directors, All ROs and ZIETs.
- The Deputy Commissioner, KVS(RO) Delhi Region w.r.t his letter dated 25.3.2022.
- The Officers/ Employees of KVS, Regional Office, Jammu for information.